<u>प्रेस नोट दिनांक 24.08.2020</u>
<u>थाना इज्जतनगर जनपद बरेली ।</u>

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक अपराध, क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय के कुशल निर्देशन में मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा थाना इज्जतनगर क्षेत्र में दिनांक 22.08.2020 को थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 718/20 धारा 302/201 आईपीसी का अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग का सकुशल अनावरण किया गया ।

थाना स्थानीय पर दिनांक 22.08.20 को सूरज कुमार पुत्र ओम प्रकाश निवासी आलोक नगर थाना इज्जतनगर बरेली ने सूचना अंकित करायी कि मेरी ममेरी बहन काजल उम्र 10 वर्ष पुत्री रवि बाबू शर्मा निवासी उपरोक्त की मेरे मामा रवि बाबू शर्मा व मेरी मामी रीतू व मेरी मां राधा देवी ने साथ मिल कर काजल की हत्या करने के बाद उसके शव को मामा रवि बाबू शर्मा के घर में गाय बांधने वाले कमरे में गड्ढा खोद कर गाड़ दिया है । इस सूचना पर नियमानुसार मुझ SHO द्वारा श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति प्राप्त कर अपर जिला अधीक्षक नगर प्रथम व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के समक्ष मृतका काजल के शव को दिनांक 23.07.20 को निकलवा कर पोस्टमार्टम कराया गया । PMR में मृतका काजल की मृत्यु आई चोटों के होना दर्शाया गया है।

दिनांक 23.08.20 को पी0एम0 रिपोर्ट के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 718/20 धारा 302/201 IPC बनाम 1. रवि बाबू शर्मा पुत्र स्व0 राम किशन शर्मा 2. रीतू शर्मा पत्नी रवि बाबू शर्मा 3. शकुन्तला देवी पत्नी स्व0 राम किशन शर्मा 4. राधा देवी पत्नी ओमप्रकाश नि0गण मौ0 आलोक नगर थाना इज्जतनगर बरेली के पंजीकृत करवाकर विवेचना प्रारम्भ की गयी । विवेचना से मृतका काजल की सौतेली मां रीतू शर्मा व बुआ राधा के पास बाहर के लोगों का आना जाना था । जिसका काजल विरोध करती थी । काजल की हरकतों से परेशान होकर प्लानिंग के तहत तीनों 1. रवि बाबू शर्मा 2. रीतू शर्मा 3. राधा देवी ने मिलकर काजल को छुरी व थपकीनुमा डण्डा से मार मारकर हत्या कर शव को गाड़ दिया था ।

आज दिनांक 24.08.2020 को नामित मुल्जिमान रवि बाबू शर्मा व रीतू शर्मा को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार करके पूछताछ की गयी तो दोनों ने अपना जुर्म इकवाल करते हुए आलाकत्ल एक छुरी व एक कपड़े धोने का थपकीनुमा डण्डा बरामद कराया । मुल्जिमान 1. रवि बाबू शर्मा पुत्र स्व0 राम किशन शर्मा 2. रीतू शर्मा पत्नी रवि बाबू शर्मा नि0 उपरोक्त का चालान न्यायालय किया जा रहा है ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-</u>

1. रवि बाबू शर्मा पुत्र स्व0 राम किशन शर्मा निवासी आलोकनगर थाना इज्जतनगर जनपद बरेली ।
2. रीतू शर्मा पत्नी रवि बाबू शर्मा निवासी आलोकननगर थाना इज्जतनगर जनपद बरेली ।

<u>बरामदगी आलाकत्लः-</u>

1. एक छुरी ।
2. एक डण्डा कपड़े धोने वाला थपकीनुमा ।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1. SHO श्री कमलेशकान्त वर्मा
2. SI श्री दिनेश कुमार
3. SI श्री नाजिर अली
4. SI रीता तेवतिया